संरक्षण शास्त्र

(कार्यपुस्तिका)

नौवीं कक्षा

भारत का संविधान

भाग 4 क

मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

(ट) यदि माता–पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।

शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६)एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ के अनुसार समन्वय समिति का गठन किया गया। दि.३.३.२०१७ को हुई इस समिति की बैठक में यह कार्यपुस्तिका निर्धारित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई।

संरक्षण शास्त्र

(कार्यपुस्तिका)

नौवीं कक्षा

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे - ४११ ००४

JAAVQF

आपके स्मार्टफोन में 'DIKSHA App' द्वारा, पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर Q.R.Code के माध्यम से डिजिटल पाठ्यपुस्तक एवं प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित Q.R.Code में अध्ययन अध्यापन के लिए पाठ से संबंधित उपयुक्त दृक-श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी ।

प्रथमावृत्ति : २०१७
पुनर्मुद्रण : २०२२
© **महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे – ४११००४**
इस पुस्तक का सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के अधीन सुरक्षित है। इस पुस्तक का कोई भी भाग महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के संचालक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

संरक्षण शास्त्र समिति
प्रा. डॉ. श्रीकांत परांजपे, अध्यक्ष
ब्रिगेडियर एस जी. गोखले (निवृत्त), सदस्य
कर्नल डॉ. प्रमोदन मराठे (निवृत्त), सदस्य
डॉ. विजय जाधव, सदस्य
डॉ. शांताराम बडगुजर, सदस्य
डॉ. अजयकुमार लोळगे, (सदस्य सचिव)

संयोजक
डॉ. अजयकुमार लोळगे
विशेषाधिकारी कार्यानुभव व
प्र. विशेषाधिकारी आरोग्य व शारीरिक शिक्षण
पाठ्यपुस्तक मंडळ पुणे

मानचित्र
श्री रविकिरण जाधव, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

निमंत्रित
श्री वैजनाथ काळे

भाषांतरकार
सौ. वृंदा कुलकर्णी
डॉ. माया जाधव

समीक्षण
डॉ. शुभदा मोघे
श्रीमती मंजुला त्रिपाठी मिश्रा

विषयतज्ञ
श्री रामहित यादव
प्रा. मैनोद्दीन मुल्ला

भाषांतर संयोजन
डॉ. अलका पोतदार
विशेषाधिकारी हिंदी

संयोजन सहायक
सौ. संध्या वि. उपासनी
सहायक विशेषाधिकारी हिंदी

मुखपृष्ठ एवं सजावट
श्री रमेश रामचंद्र माळगे

अक्षरांकन : रूना ग्राफिक्स, पुणे

निर्मिति : श्री सच्चितानंद आफळे,
मुख्य निर्मिति अधिकारी
श्री विनोद गावडे, निर्मिति अधिकारी
श्रीमती मिताली शितप,
सहायक निर्मिति अधिकारी

कागज : ७० जी.एस.एम. क्रीमवोव्ह

मुद्रणादेश : एन्/पिबी/२०२२-२३/(०,०००)

मुद्रक :

प्रकाशक
विवेक उत्तम गोसावी
नियंत्रक,
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ,
प्रभादेवी, मुंबई-२५

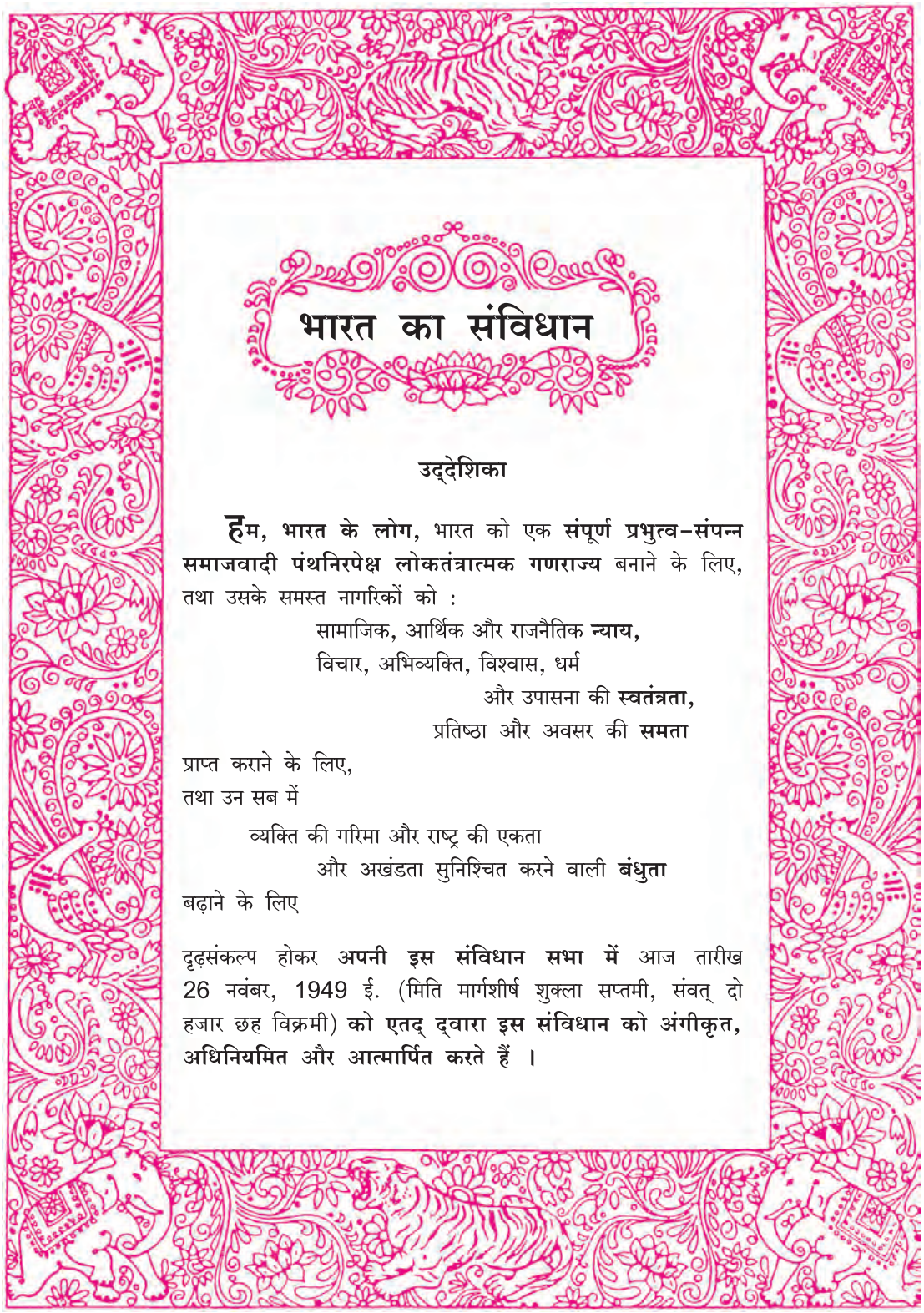

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) **को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।**

राष्ट्रगीत

जनगणमन – अधिनायक जय हे
भारत – भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत – भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है । सभी भारतीय मेरे भाई-बहन हैं ।

मुझे अपने देश से प्यार है । अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है ।

मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूँगा/करूँगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूँगा/करूँगी ।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूँगा/रखूँगी । उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है ।

प्रस्तावना

विद्यार्थी मित्रो,

आप सभी का नौवीं कक्षा में स्वागत है । 'संरक्षण शास्त्र' की कार्यपुस्तिका आपके हाथों में सौंपते हुए विशेष आनंद हो रहा है ।

इस पुस्तिका में भारतीय सेना तथा अर्द्ध सेना बल की संक्षेप में जानकारी दी गई है । ऐसा विश्वास है कि आप इस विषय से वैश्वीकरण की सदी में आवश्यक संरक्षण शास्त्र की जानकारी ग्रहण करने तथा संरक्षणशास्त्र क्षेत्र में उपलब्ध करियर के सफल मार्गक्रमण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन पा सकते हैं ।

आप जानते हैं कि संरक्षण शास्त्र का महत्त्व असाधारण है । संरक्षण शास्त्र कार्यपुस्तिका का मूलभूत उद्देश्य आप में राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रहित, देशप्रेम इन जीवन मूल्यों को पोषित करना है । आप इस विषय का अध्ययन चर्चा, क्षेत्रभेंट, साक्षात्कार, भूमिका अभिनय जैसी विभिन्न कृतियों द्वारा करने वाले हैं । आपको ये सभी उपक्रम करने ही हैं । इन उपक्रमों द्वारा आपकी विचार प्रक्रिया को गति प्राप्त हो सकती है । चर्चा करते समय प्राप्त मुद्दे तथा जानकारी लिखने के लिए पुस्तिका में पर्याप्त जगह दी है । साथ-ही-साथ आवश्यकता होने पर अपने शिक्षक, अभिभावक तथा सहपाठियों की सहायता लीजिए ।

आज के इस प्रौद्योगिकी के गतिमान युग में संगणक, स्मार्ट फोन से आप परिचित हैं । कार्यपुस्तिका के जरिये अध्ययन करते समय सूचना प्रसारण एवं प्रौद्योगिक साधनों का प्रयोग कीजिए । इससे आपका अध्ययन सुचारु रूप से होगा ।

कार्यपुस्तिका पढ़ते समय, अध्ययन करते समय, समझते समय आने वाली कठिनाइयाँ, उपस्थित प्रश्न हमें अवश्य बताएँ ।

आपको अपने शैक्षिक विकास के लिए हार्दिक शुभेच्छा !

पुणे
दिनांक : २८ अप्रैल २०१७, अक्षय तृतीया
भारतीय सौर दिनांक : ८ वैशाख १९३९

(डॉ. सुनिल बा. मगर)
संचालक
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे

संरक्षण शास्त्र (Defence Studies)

अध्ययन–अध्यापन और उपक्रम संबंधी दृष्टिकोण

संरक्षण शास्त्र विषय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा है । राष्ट्रीय सुरक्षा की यह संकल्पना देश के सामने होने वाली बाह्य तथा आंतरिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है । आज राष्ट्रीय सुरक्षा की संकल्पना की व्याप्ति केवल सीमा रक्षा तक सीमित नहीं है । उसमें राजकीय, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का भी समावेश किया जाता है । इस विषय से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रहित, देशप्रेम के मूल्य पोषित हों; यही हेतु है । भविष्य में इस विषय में करियर करने की दृष्टि से इस विषय की उपयोगिता है । कक्षा नौवीं की 'संरक्षणशास्त्र' पुस्तक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है । उसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा की संकल्पना और भारतीय सैनिकी तथा अद्‌र्ध सैनिकी बल की जानकारी दी है ।

कक्षा दसवीं में आप आपत्ति व्यवस्थापन और भारत के सामने होने वाली आंतरिक चुनौतियों का अध्ययन करने वाले हैं । इस पुस्तक को विद्यार्थी कार्यपुस्तिका के रूप में उपयोग में लाएँगे । इसके आशय को पढ़कर उसके संबंध में गुट में, कक्षा में, शिक्षकों के साथ, उसी प्रकार विषय तज्ञों से चर्चा करके कुछ क्षेत्रभेंट, साक्षात्कार की सहायता से कार्यपुस्तिका में पाठ के नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर जानकारी लिखें । इसके लिए अंतरजाल, समाचारपत्र, ग्रंथालय, संदर्भ सामग्री की सहायता लें । उसी प्रकार अलग–अलग क्षेत्रभेंटों का आयोजन अध्यापकों द्‌वारा अपेक्षित है ।

अध्ययन तथा अध्यापन

(१) प्रत्येक पाठ्य घटक की संक्षेप में जानकारी दी गई है । उसके आधार पर अध्यापक यह विषय समझाकर बताएँगे । उसके लिए जरूरी संदर्भ सेवा का उपयोग करें ।

(२) दिए गए पाठों का अध्ययन अधिक प्रभावशाली हो इस दृष्टि से प्रकल्प में हर विद्यार्थी का कृतियुक्त सहभाग लें । प्रकल्प के विषयों पर चर्चा करके यह उपक्रम लिखित रूप में पूर्ण करें ।

(३) सप्ताह में एक बार विद्यार्थियों से समाचारपत्र, मासिक पत्रिकाओं में छपे भारत की सुरक्षा विषयक समस्याओं के समाचारों पर चर्चा करके विद्यार्थियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दें ।

(४) उपलब्ध स्थिति के अनुसार सुझाए गए क्षेत्रभेंट का आयोजन करें । उससे नेतृत्व–सहकार्य, संवाद–कौशल विकास इन गुणों का विकास होगा ।

इस विषय का मूल्यांकन

(१) अलग रूप से लिखित परीक्षा नहीं है ।

(२) कार्यपुस्तिका में समाविष्ट लिखित कार्य के लिए ४०% भारांश है ।

(३) चर्चा, क्षेत्रभेंट, साक्षात्कार, भूमिका अभिनय के लिए ६०% भारांश है ।

(४) प्राप्त गुणों का श्रेणी में रूपांतर करके विद्यार्थियों को श्रेणी देना है ।

संरक्षण शास्त्र विषयक क्षमता: नौवीं कक्षा

यह अपेक्षा है कि नौवीं कक्षा के अंत में विद्यार्थियों में निम्नांकित क्षमताएँ विकसित हों ।

अ.क्र.	घटक	क्षमता
१.	❍ राष्ट्रीय सुरक्षा ❍ राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियाँ (बाह्य)	❍ राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय मूल्य विकसित करना । ❍ राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रहित इन संकल्पनाओं को समझ लेना । ❍ राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने होने वाली बाह्य चुनौतियों को समझ लेना । ❍ भारत तथा समीपवाले देशों से होने वाले संबंध समझ लेना । ❍ मानचित्र वाचन कौशल विकसित करना ।
२.	❍ भारतीय संरक्षण व्यवस्था ❍ भारतीय थलसेना ❍ भारतीय नौसेना ❍ भारतीय वायुसेना	❍ भारतीय सेनादल, रचना व कार्य समझना । ❍ तीनों सेना बल के शस्त्र-अस्त्र की जानकारी लेना । ❍ सेना बल के अधिकारियों के पद समझना । ❍ सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय समुद्री तटवर्ती क्षेत्र तथा नौसेना का महत्त्व समझ लेना । ❍ राष्ट्रीय आपात्काल काल में सेना बलों का महत्त्व समझना ।
३.	❍ संरक्षण के दुय्यम संगठन ❍ पुलिस संगठन	❍ देश के सुरक्षा दुय्यम संगठन तथा उनके कार्य को समझ लेना । ❍ पुलिस बल का राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान का अध्ययन करना । ❍ अलग-अलग साक्षात्कारों से सुरक्षा बल के संबंध में प्रेरणा लेना ।
४.	❍ सेना में सेवा तथा अवसर	❍ सेना में सेवा के अवसर और प्रवेश प्रक्रिया समझ लेना ।

अनुक्रमणिका

अ.क्र.	पाठ का नाम	पृष्ठ संख्या
१.	राष्ट्रीय सुरक्षा	१
२.	राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ (बाह्य)	७
३.	भारतीय सुरक्षा व्यवस्था	१३
४.	भारतीय थलसेना	१९
५.	भारतीय नौसेना	२६
६.	भारतीय वायुसेना	३२
७.	सुरक्षा के दुय्यम संगठन	४१
८.	पुलिस बल	४७
९.	सेना में सेवा अवसर	५१

प्रकरण १ राष्ट्रीय सुरक्षा

सुरक्षा का अर्थ

सुरक्षा व्यवस्था जीवन की आवश्यकता है । प्राणिमात्र के सामान्य जीवों को भी स्व-सुरक्षा के लिए शक्ति और साधनों के अनुरूप व्यवस्था प्रकृति ने करके दी है । जो बात सामान्य प्राणिमात्र के लिए है वही मानवीय जीवन की है ।

सुरक्षा संकल्पना व्यक्ति, समाज और देश से संबंधित है । सुरक्षा, शांति और स्थिरता निर्माण करती है । उसी प्रकार अनिश्चितता से सुरक्षा देती है । राष्ट्र-राष्ट्र में चुनौतियाँ-प्रतिचुनौतियाँ होती हैं । राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय मूल्य, राष्ट्रीय भूमि का संरक्षण होना चाहिए । प्रादेशिक अखंडता, नागरिक जनजीवन और राष्ट्रीय साधन संपत्ति की परकीय आक्रमण से रक्षा करना ही राष्ट्रीयता की रक्षा है । इसका अर्थ राष्ट्र की राष्ट्रीयता, संप्रभुता की रक्षा के लिए कार्यवाही में लाए जाने वाले सभी संरक्षक उपायों को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' कहा जाता है ।

भारत का इतिहास

प्राचीन काल से भारतीय इतिहास की ओर देखने से पता चलता है कि भारत पर पश्चिम-उत्तर दिशा से विदेशियों के आक्रमण हुए थे । उस समय भारतीय राजाओं के अधिकार में अलग-अलग राज्य थे ।

उदा. मौर्य, गुप्त, मराठा आदि ने राष्ट्रीय स्तर पर विदेशी आक्रमणों का प्रतिकार करने की क्षमता लोगों में निर्माण की थी । अपने राज्य की सुरक्षा और राज्य विस्तार के लिए सुरक्षा संबंधी उपाय तथा योजनाएँ, उसका प्रारूप तथा नियोजन और संरक्षण व्यवस्था की योजना दिखाई देती है ।

संकल्पना

राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचते समय कुछ संकल्पनाओं को समझ लेना आवश्यक है क्योंकि उनका राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध है । राष्ट्र, राष्ट्रराज्य, राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, राष्ट्रशक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि संकल्पनाएँ इस प्रकार हैं -

❍ **राष्ट्र :** राष्ट्र अर्थात एक ही भौगोलिक प्रदेश में एक ही संस्कृति, एक ही वंश, धर्म के अथवा भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं । उनमें एकता की भावना होती है । उस प्रदेश को राष्ट्र कहा जाता है ।

❍ **राष्ट्रराज्य :** कोई राष्ट्र, 'राष्ट्रराज्य' कब होता है ? भूप्रदेश, लोग और संप्रभुता इन तीन घटकों के कारण राष्ट्रराज्य बनता है। भारत एक राष्ट्रराज्य है । राष्ट्रराज्य में अनेक प्रकार की विविधता हो सकती है । उदा. भारत में वांशिक, धार्मिक, जातीय, भाषिक, भौगोलिक, आर्थिक जैसी अनेक विविधताएँ हैं ।

❍ **राष्ट्रवाद :** राष्ट्रवाद की परिभाषा 'राष्ट्र' इस संकल्पना के स्पष्टीकरण में ही है । लोगों की देश हित के बारे में जो भावनाएँ व्यक्त होती हैं उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है । उदा. जब हम भारत के राष्ट्रवाद के बारे में बोलते हैं तब भारत को

एक संघराज्य कहते हैं । उसमें विविध भाषा, धर्म के लोगों की पहचान भारतीय रूप में ही होती है । अतः भारत को एक संघ कहा जाता है ।

❍ **राष्ट्रहित :** राष्ट्रहित देश के मूलभूत मूल्यों से संबंधित होता है । इन मूल्यों को देश का भौगोलिक विस्तार, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटकों के आधार पर निश्चित किया जाता है । ये मूल्य देश के संविधान में हैं । भारतीय संविधान के घोषणापत्र में ये अंतर्निहित हैं । जनतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य, संघराज्य पद्धति और समानता ये भारत के मूलभूत मूल्य हैं । इन मूल्यों के कारण देश का सांस्कृतिक इतिहास, संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था और राज्यसंस्थान के प्रकार की प्रणाली समझ सकते हैं ।

❍ **राष्ट्रीय सामर्थ्य :** राष्ट्रीय सामर्थ्य की सहायता से देश के मूलभूत मूल्य और राष्ट्रहित की रक्षा होती है । देश की रक्षा की क्षमता को राष्ट्रीय सामर्थ्य कहा जाता है । प्राचीन काल से आज तक राष्ट्रीय सामर्थ्य राजनीति के केंद्रस्थान में रही है । अतः राष्ट्रीय सामर्थ्य प्राप्त करने के प्रयास प्रत्येक राष्ट्र द्वारा किए जाते हैं । जिस देश का राष्ट्रीय सामर्थ्य प्रभावी होता है, वह देश किसी भी क्षेत्र में अपने हितसंबंध बढ़ाने में समर्थ रहता है । जिस देश का राष्ट्रीय सामर्थ्य कमजोर होता है, वह देश अपने हितसंबंध सुरक्षित रखने के लिए अन्य राष्ट्रों से सहयोग लेता है । अपने राष्ट्रहित की दृष्टि से दूसरे देशों के साथ होने वाले संबंधों को प्रभावित करने की क्षमता को 'राष्ट्रीय सामर्थ्य' कहा जाता है ।

हर राष्ट्र अपने अस्तित्व के लिए तथा अपने हित की रक्षा करने के लिए अपना राष्ट्रीय सामर्थ्य (शक्ति) बढ़ाने का अनेक तरीकों से प्रयास करता है ।

राष्ट्रीय सामर्थ्य देश की भौतिक तथा अभौतिक घटकों की सहायता से अस्तित्व में आता है । भौतिक घटकों में कोयला, लौह, इस्पात अन्य खनिज तथा पानी जैसे प्राकृतिक साधन संपत्ति का समावेश होता है । इनकी सहायता से राष्ट्रीय औद्योगिक क्षमता निर्माण की जाती है । भारत का अंतरिक्ष संशोधन और अणुविज्ञान क्षेत्र का योगदान भारत की राष्ट्रीय सामर्थ्य निर्मिति का बड़ा घटक है । अभौतिक घटकों में देश की जनसंख्या, उनका मनोधैर्य और देश के प्रति होने वाली जिम्मेदारी आदि का समावेश होता है ।

❍ **राष्ट्रीय सुरक्षा :** अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए किए गए उपायों को सुरक्षा कहा जाता है । हर राष्ट्र की आंतरिक तथा बाह्य चुनौतियाँ होती हैं । उनसे राष्ट्र रक्षा के उपाय निश्चित किए जाते हैं । अतः राष्ट्रीय सुरक्षा में राष्ट्र के बाह्य आक्रमण के साथ ही देशांतर्गत शत्रु से देश की रक्षा भी महत्त्वपूर्ण है । बाह्य आक्रमण, रोज घटने वाली घटना नहीं है फिर भी शांतिकाल में राष्ट्र सुरक्षा के लिए की गई तैयारी अथवा किए गए उपाय इनका राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ संबंध होता है । अतः शांति के समय सजग रहकर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए निर्मित सुरक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा में मूलभूत मूल्यों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है । इसी प्रकार देशांतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीय सुरक्षा के लिए अन्य प्रतिबंधात्मक उपाय किए जाते हैं ।

उपक्रम

१. अलेक्जेंडर द्वारा भारत पर किए आक्रमण के संदर्भ में वाचन कीजिए । अलेक्जेंडर की भारत के किन-किन राजाओं ने मदद की । अलेक्जेंडर तथा पोरस में हुई झेलम की लड़ाई का वर्णन पढ़िए । पोरस राजा के स्वाभिमान और पराक्रम का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए ।

२. अलेक्जेंडर (सिकंदर) व राजा पुरू (पोरस) के बीच हुए संवाद को अध्यापकों के मागदर्शन में तैयार कीजिए तथा उसका नाट्यीकरण प्रस्तुत कीजिए ।

३. सम्राट अशोक के कालावधि वाले भारत के मानचित्र का अवलोकन कीजिए । प्राचीन भारत के (राजकीय) प्रारूप में सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की सीमा/स्थल/स्थान दिखाइए । (संदर्भ के लिए–इतिहास तथा नागरिक शास्त्र कक्षा ६ वीं की पाठ्यपुस्तक देखें ।)

४. निम्नांकित मुद्दों पर चर्चा कीजिए ।

अ) विदेशी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय एकात्मता का महत्त्व ।

ब) राष्ट्रीय एकात्मता के लिए भारतीय संविधान में की गई व्यवस्था/ किया हुआ प्रबंध ।

उपर्युक्त में से किसी एक घटक पर चर्चा करके मुद्दे लिखिए ।

५) 'भारत के प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रशक्ति के महत्त्वपूर्ण घटक हैं,' इस विषय पर टिपण्णी लिखिए ।

६) 'भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास,' इस विषय पर चर्चा करें । चर्चा में आए मुद्दे यहाँ लिखिए ।

७. भारत के आणविक और अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रगति पर गुटचर्चा करें और गुटचर्चा की महत्त्वपूर्ण बातों को लिखें ।

JAJRS3

प्रकरण २ राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ (बाह्य)

संलग्न मानचित्र का निरीक्षण कीजिए ।

भारत के पड़ोसी देश कौन-से हैं इसका अध्ययन करें । उनके साथ भारत के संबंध, पूर्व इतिहास और आज भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का हमें विचार अवश्य करना चाहिए । भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर दिशा में चीन ये पड़ोसी राष्ट्र हैं । भारत की सीमा उत्तर की ओर अफगानिस्तान से भी जुड़ी है । अफगानिस्तान से जुड़े हुए इस भारतीय सीमा प्रदेश को 'वाकन कोरिडोर' कहा जाता है ।

इसके अतिरिक्त भारत के उत्तर दिशा में नेपाल, भूटान देश हैं और पूर्व दिशा में बांग्लादेश तथा म्यानमार प्रदेश हैं । दक्षिण में हिंद महासागरी क्षेत्र में श्रीलंका है ।

भारत तथा पड़ोस के देश

❍ पाकिस्तान :

१९४७ से भारत और पाकिस्तान में अनेक युद्ध हुए हैं । पाकिस्तान के साथ १९४७-४८, १९६५ और १९७१ इन प्रमुख युद्धों का समावेश है तथा इनमें से पहले दो युद्ध प्रमुख रूप से कश्मीर समस्या पर हुए हैं । १९७१ के भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में बांग्लादेश की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्मिति हुई । इसके पहले पूर्व पाकिस्तान रूप में वह भारत के पूर्व दिशा में स्थित पाकिस्तान का प्रदेश था । १९९९ में भारत को फिर से कारगिल प्रदेश में युद्ध करना पड़ा । पाकिस्तान के साथ अब तक के युद्ध पारंपारिक स्वरूप में मर्यादित थे । भविष्यकालीन युद्ध शायद अण्वस्त्रों के साथ व्यापक स्वरूप में हो सकते हैं अर्थात पाकिस्तान के साथ होने वाले युद्ध का स्वरूप बदल गया है ।

यह एक चुनौती है, पाकिस्तान ने कई आतंकवादी गुटों को आश्रय दिया है । भारत पर इन आतंकवादी गुटों का हमला होता रहता है ।

❍ चीन :

भारत के उत्तर में चीन यह एक महत्त्वपूर्ण (राष्ट्र) सत्ता है । अंतरराष्ट्रीय सीमाविवाद तथा तिब्बत का स्थान यह भारत-चीन विवाद का मूल कारण है । अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश (पूर्व नाम, नेफा) की उत्तर सीमा की निश्चिति के संबंध में दो विवाद क्षेत्र इन दोनों देशों के दरमियान हैं । अरुणाचल प्रदेश 'नेफा' नाम से पहचाना जाता है । उत्तर के अक्साई चीन लद्दाख के इस भारतीय प्रदेश पर चीन का अवैध कब्जा है । अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत के बीच की सीमा 'मैकमोहन रेखा' नाम से जानी जाती है । शिमला में १९१४ में भारत, चीन तथा तिब्बत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश अधिकारी ने भारत-चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा निश्चित की थी । १९६२ के भारत-चीन युद्ध का मूल कारण यह सीमाविवाद ही था ।

पारंपरिक दृष्टि से तिब्बत यह स्वंतत्र प्रदेश है । बौद्ध संस्कृति तिब्बत की विशेषता है । १९५० से चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार प्रस्थापित किया है और वहाँ की बौद्ध संस्कृति नष्ट करने का प्रयास कर रहा है । तिब्बत की जनता पर चल रहे अत्याचार के कारण तिब्बत के प्रसिद्ध धार्मिक नेता दलाईलामा ने १९५८ से भारत में आश्रय लिया है ।

❍ बांग्लादेश :

१९७१ में भारत के पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान ऐसे दो पाकिस्तानी प्रदेश थे । पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिम पाकिस्तान द्वारा काफी शोषण तथा मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था । इसी के कारण शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तानी लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान की अत्याचारी सैनिक सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया । पश्चिमी पाकिस्तान के शोषण से मुक्ति पाने के लिए यह विद्रोह किया गया था । इस लड़ाई के

कारण लाखों पूर्व पाकिस्तानी लोग भारत में निर्वासित बनकर आश्रय के लिए आए । इस कारण भारत की अंतर्गत व्यवस्था पर बड़ा तनाव उत्पन्न हुआ इसलिए भारत ने पूर्वी-पाकिस्तान के प्रयत्नों को सहयोग दिया । इससे से ही १९७१ के युद्ध का प्रारंभ हुआ और बांग्लादेश की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्मिति हो गई ।

१९७१ से भारत तथा बांग्लादेश इन दोनों देशों के पारस्परिक सहसंबंध अच्छे रहे हैं । आगे चलकर गंगा नदी के फरक्का बाँध को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ । जो 'फरक्का विवाद' नाम से आज भी प्रसिद्ध है । बांग्लादेश की भूमिका के कारण बांग्लादेश से बहने वाली गंगा नदी का पानी रोका गया था । १९७८ में यह विवाद 'फरक्का समझौते' पर दोनों देशों के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ ।

❍ श्रीलंका

श्रीलंका के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं । तमिल अल्पसंख्यक समस्या के कारण श्रीलंका के उत्तर की प्रदेश में आंतरिक अस्थिरता थी । तमिल अल्पसंख्यक राजकीय स्वतंत्रता की माँग कर रहे थे । इस स्वतंत्रता की माँग का परिवर्तन बाद में सैनिक कार्यवाही के रूप में हुआ । १९८७ में तमिल समस्या के निराकरण के लिए भारत-श्रीलंका के बीच समझौता हुआ और उसके बाद भारत ने श्रीलंका सरकार को सहयोग के बारे में विश्वास दिलाया । इस समस्या के कारण निर्माण हुई परिस्थिति को नियंत्रण में लाकर सुरक्षात्मक स्थिति निर्माण करने के लिए भारत ने शांतिसेना भेजकर श्रीलंका का सहयोग किया । भारत के उपर्युक्त पड़ोसी देशों के साथ ही हिंद महासागर के महत्त्व को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखना जरूरी है ।

समुद्री क्षेत्र

❍ हिंद महासागर :

भारत को लगभग ७००० किमी का समुद्री किनारा प्राप्त हुआ है । वैश्विक व्यापार की दृष्टि से हिंद महासागर क्षेत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । इस व्यापार का मुख्य मार्ग स्वेज नहर से मलक्का जल डमरूमध्य तक है । इस मार्ग में भारत का मध्यवर्ती स्थान है । अंदमान-निकोबार द्वीप समूह को इसी कारण महत्त्व प्राप्त हुआ है ।

व्यापार के लिए डच, फ्रेंच, पुर्तगाली तथा ब्रिटिश समुद्री मार्ग से भारत में आए और उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए। हिंद महासागर में अमेरिका, रूस, चीन तथा अन्य देशों का प्रभाव बढ़ रहा है । यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से संपन्न हैं । इसी कारण हिंद महासागर की सुरक्षा भारत के सामने एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है ।

हिंद महासागर का मानचित्र

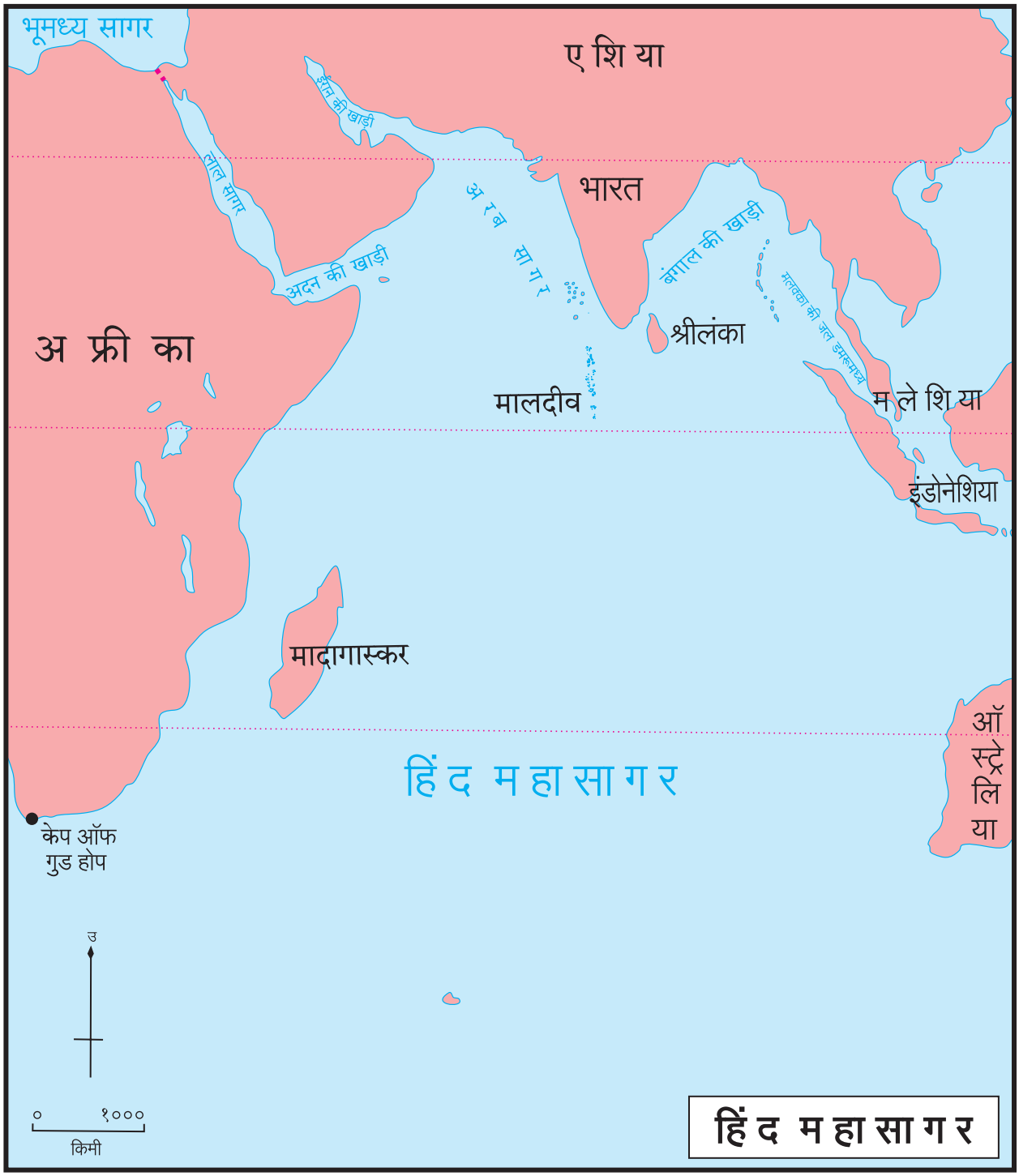

उपक्रम

भारत तथा पड़ोसी देशों के संदर्भ में समाचार पत्रों में आने वाले समाचार, चित्रों का संग्रह कीजिए और यहाँ चिपकाइए ।

भारत तथा पड़ोसी देशों के संदर्भ में समाचार पत्रों में आने वाले समाचार, चित्रों का संग्रह कीजिए और यहाँ चिपकाइए ।

JATHTQ

प्रकरण ३ भारतीय सुरक्षा व्यवस्था

भारत के प्रत्येक भूभाग की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी भारत सरकार की है । राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनादलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं । केंद्रीय मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के प्रमुख होते हैं । प्रधानमंत्री को सुरक्षा के बारे में सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं ।

रक्षा मंत्रालय और उसके विभाग

स्वतंत्रता के बाद रक्षा मंत्रालय की निर्मिति की गई । रक्षा मंत्रालय को प्राप्त संसाधन से शासकीय नीति को दिशा देना और मान्य कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष में कार्यान्वित करना इस मंत्रालय का कार्य है ।

- **सुरक्षा विभाग :**

  सेनादल से संबंधित कार्य, सुरक्षा बजट, सुरक्षा नीति, संसदीय कामकाज की सुरक्षा के संदर्भ में विदेशों से सहयोग आदि विभाग रक्षा विभाग में आते हैं ।

- **सुरक्षा उत्पादन विभाग :**

  यह विभाग प्रमुखतः तीनों सुरक्षा दलों तथा विभागों को लगने वाले अलग-अलग उत्पादनों से संबंधित है । उसमें सुरक्षा उत्पाद कारखाने, सुरक्षा सामग्री, सार्वजनिक उत्पाद मंडल, अलग-अलग सामग्री तथा उनके अलग-अलग पुर्जे, सुरक्षा के संबंध में आयात सामग्री का स्वदेशीकरण (भारतीयकरण) आदि विभागों का नियोजन और नियंत्रण का समावेश है ।

- **सुरक्षा अनुसंधान और विकास विभाग :**

  अलग-अलग सुरक्षा सामग्री तथा उसके उत्पादन के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी के बारे में भारत सरकार को सलाह देना, इस विभाग का कार्य है ।

- **निवृत्त सैनिक कल्याण विभाग :**

  तीनों सेनादलों के निवृत्त सैनिक (अवकाश प्राप्त), अधिकारी तथा अन्यों का निवृत्तिवेतन (पेंशन), कल्याण और पुनर्वसन आदि कार्य इस विभाग के द्‌वारा किए जाते हैं ।

- **सैन्य व्यवहार विभाग :**

  यह विभाग थल सेना, नौ सेना एवं वायु सेना; रक्षामंत्रालय के एकात्मिक मुख्यालय; क्षेत्रीय सेना (टेरिटोरियल आर्मी) से संबंधित एवं संदर्भित कार्य करता है । यह विभाग तीनों सेवाओं की संयुक्तता को प्रोत्साहित करता है ।

❍ सेनादल :

सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख रूप से तीन सशस्त्र सेनादलों का अंतर्भाव होता है, जैसे–

- थलसेना
- नौसेना
- वायुसेना

सेनादल का बाह्य आक्रमण से देश की संप्रभुता की रक्षा करना प्राथमिक कार्य है । इसी प्रकार समय–समय पर निर्माण होने वाले खतरे/धोखा अथवा प्राकृतिक आपदा, हड़ताल और अशांति के समय शासन को सहयोग करना सेनादल का कार्य है ।

❍ सेनादल के विविध पद :

RANKS IN ARMY NAVY AND AIR FORCE AND THEIR EQUIVALENT				
Sr. No.	**Army**	**Navy**	**Air Force**	
1	Field Marshal फील्ड मार्शल	Admiral of the Fleet ऐडमिरल ऑफ द फ्लीट	Marshal of the Air Force मार्शल ऑफ द एअर फोर्स	
2	General जनरल	Admiral ऐडमिरल	Air Chief Marshal एअर चीफ मार्शल	Chiefs of Army, Navy and Air Staff थल सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख
3	Lieutenant General लेफ्टिनेंट जनरल	Vice Admiral व्हाईस ऐडमिरल	Air Marshal एअर मार्शल	
4	Major General मेजर जनरल	Rear Admiral रिअर ऐडमिरल	Air Vice Marshal एअर व्हाईस मार्शल	
5	Brigadier ब्रिगेडियर	Commodore कोमोडोर	Air Commodore एअर कोमोडोर	
6	Colonel कर्नल	Captain कैप्टन	Group Captain ग्रुप कैप्टन	
7	Lieutenant Colonel लेफ्टिनेंट कर्नल	Commander कमांडर	Wing Commander विंग कमांडर	
8	Major मेजर	Lieutenant Commander लेफ्टिनेंट कमांडर	Squadron Leader स्क्वाड्रन लीडर	
9	Captain कैप्टन	Lieutenant लेफ्टिनेंट	Flight Lieutenant फ्लाईट लेफ्टिनेंट	
10	Lieutenant लेफ्टिनेंट	Sub Lieutenant सब लेफ्टिनेंट	Flying Officer फ्लाईंग ऑफिसर	

INDIAN ARMY RANK INSIGNIA: OFFICERS

General

Lieutenant General

Major General

Brigadier

Colonel

Lieutenant Colonel

Major

Captain

Lieutenant

INDIAN ARMY RANK INSIGNIA: JCO/NCO/JAWANS

Subedar Major

Subedar

Naib Subedar

Regimental Havildar Major

Regimental Quarter Master Havildar

Company Havildar Major

Company Quarter Master Havildar

Havildar

Naik

Lance Naik

INDIAN AIRFORCE RANKS

Shoulder

Sleeve

Rank

Marshal of the Airforce | Air Chief Marshal | Air Marshal | Air Vice Marshal | Air Commodore

Group Captain | Wing Commander | Squadron Leader | Flight Lieutenant | Flying Officer

INDIAN NAVY RANKS

Shoulder

Sleeve

Rank

Admiral Of the Fleet | Admiral | Vice Admiral | Rear Admiral | Commodore

Captain | Commander | Lieutenant Commander | Lieutenant | Sublieutenant

❍ अर्द्ध सैनिक बल

सैनिकी सेनादल की तुलना में अर्द्ध प्रशिक्षित, मर्यादित सुरक्षा कार्य करने वाले सेनादल याने अर्द्ध सैनिक सेनादल है । इनकी संघटनात्मक रचना, युद्धनीति, प्रशिक्षण, सहसंस्कृति और कार्य, नियमित सैनिकों के समान ही होते हैं परंतु वे देश के नियमित सेनादल का हिस्सा नहीं होते हैं । जैसे- राष्ट्रीय राइफल्स, असम राइफल्स् आदि ।

उपक्रम

१. अवकाश प्राप्त सेना प्रमुख (अधिकारी) अथवा भारतीय सेना तथा उनके अनुभवों के बारे में निम्नांकित मुद्दों के आधार पर साक्षात्कार लीजिए ।

(अ) सेना अधिकारी (प्रमुख) अथवा सैनिक का नाम/पद

.....

.....

(ब) शिक्षण-प्रशिक्षण

.....

.....

.....

(क) सेनादल का कार्यकाल

.....

.....

(ड) सेनादल की जिम्मेदारी

.....

.....

(इ) विशेष अनुभव

.....

.....

(ई) युवकों के लिए संदेश

.....

.....

.....

२. सशस्त्र सेनादल के संकेत स्थलों को भेट दें । अपनी रुचि के अनुसार किसी थल सेना के बारे में अधिक जानकारी संकलित कीजिए ।

३. किसी एक शौर्यपदक विजेता की जानकारी संकेत स्थल से प्राप्त करके लिखिए :

JB3IVD

प्रकरण ४ भारतीय थलसेना

भारतीय थलसेना तीनों सेनादल में सर्वाधिक प्राचीन सेना विभाग है । सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने से अर्थात दो हजार सालों की अति प्राचीन तथा उच्चतम विरासत भारतीय थल सेना को प्राप्त है ।

आजकल के भारतीय थलसेना की नींव अंग्रेजों के जमाने में डाली गई थी । स्वतंत्रतापूर्व काल में नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए 'आजाद हिंद-सेना' का नेतृत्व किया । उन्होंने इस सेना में महिलाओं को भी सहभागी किया था । कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन इस महिला दल की प्रमुख थीं ।

भारतीय थलसेना की भूमिका

बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राष्ट्रहित की रक्षा करना थल सेना की महत्त्वपूर्ण भूमिका है । यह भूमिका सफलता से निभाने और निम्न कार्यवाही के लिए थलसेना को तत्पर रहना पड़ता है ।

- बाहरी आक्रमण को नष्ट करने के लिए युद्ध करना और हमेशा सतर्क रहना ।
- देश के आंतरिक खतरों को रोकने के लिए आंतरिक सुरक्षा व्यवस्थापन को सक्षम बनाना ।
- आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रहित को संभालने के लिए सेना बल का उपयोग करना ।
- मित्र देशों तथा युनो के शांतिपूर्ण कार्यवाहियों में सहयोग देना ।
- मानवीय तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग करना और नागरी अधिकारियों की मदद करना आदि ।

सेना का भौगोलिक विभाग और नियंत्रण

देश का भौगोलिक आकार तथा विस्तार और सुरक्षा के संभाव्य खतरों के आधार पर भारतीय सेना का छह कार्यात्मक विभागों में (कमांड) विभाजन किया है। ये विभाग पूरे देश में बिखरे हुए हैं। इस विभाग का २ से ३ सेना भागों में (कोर) विभाजन किया जाता है। ये सेनाविभाग फिर से २ से ३ सैनिकी विभागों में बँटे हैं और इन सैनिक विभागों का विभाजन ४ से ५ ब्रिगेड में किया जाता है। हर ब्रिग्रेड में ३ से ४ बटालियन अथवा रेजिमेंटस होते हैं। बटालियन का विभाजन फिर से कंपनी, प्लाटून और सेक्शन में होता है। एक सेक्शन में १० सैनिक होते हैं और यह सेना का सबसे छोटा और स्वयंपूर्ण लड़ाकू गुट होता है।

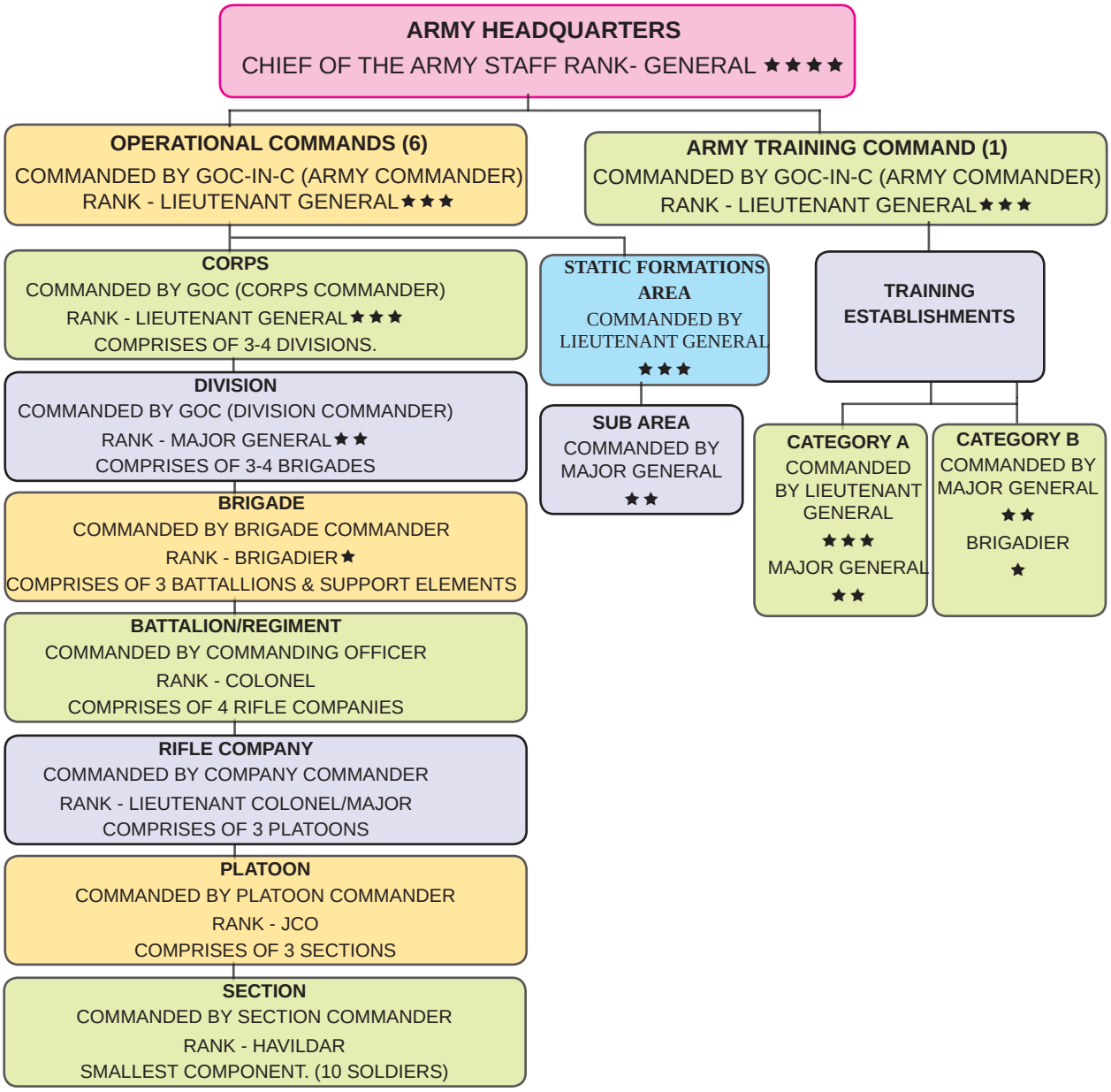

भारतीय सेना के कार्यात्मक विभाग

१) उत्तर विभाग (नादर्न कमांड) :

इस विभाग का मुख्यालय उधमपुर में है । पूर्व दिशा की ओर चीन, तो पश्चिम दिशा की ओर पाकिस्तान इन राष्ट्रों से सुरक्षा करना इस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है । जम्मू-काश्मीर का प्रदेश इस विभाग का कार्यक्षेत्र है ।

२) पश्चिम विभाग (वेस्टर्न कमांड) :

इस विभाग का मुख्यालय चंडीगढ़ में है । पूर्व दिशा की तरफ हिमाचल प्रदेश इसका कार्यक्षेत्र है । पश्चिम दिशा की ओर पाकिस्तान से तथा पूर्व दिशा की ओर चीन से सुरक्षा करना इसका कार्य है ।

३) दक्षिण-पश्चिम विभाग (साउथ वेस्टर्न कमांड) :

इस विभाग का मुख्यालय जयपुर में है । उत्तर और मध्य राजस्थान तथा हरियाणा इस विभाग के कार्यक्षेत्र हैं ।

४) दक्षिण-विभाग (सदर्न कमांड) :

इस विभाग का मुख्यालय पुणे में है । दक्षिण राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश ये इस विभाग के कार्यक्षेत्र हैं ।

५) मध्य विभाग (सेंट्रल कमांड) :

इस विभाग का मुख्यालय लखनऊ में है । उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, ओड़िसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये इस विभाग के कार्यक्षेत्र हैं । उत्तराखंड में चीन तो उत्तरप्रदेश तथा बिहार में भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी मध्य विभाग की है ।

६) पूर्व विभाग (ईस्टर्न कमांड) :

इस विभाग का मुख्यालय कोलकाता में हैं । सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम इन क्षेत्रों की सुरक्षा इस विभाग की जिम्मेदारी है । उसी प्रकार भारत-नेपाल सीमा, म्यानमार और बांग्लादेश इन सरहदों की जिम्मेदारी भी इसी विभाग की है ।

(७) प्रशिक्षण विभाग :

भारतीय सेना के छह कार्यात्मक विभागों के अलावा एक स्वतंत्र प्रशिक्षण विभाग है । थलसेना का प्रशिक्षण इसकी मुख्य जिम्मेदारी है ।

थल सेना का संगठन और रचना

प्रमुखतः लड़ाकू विभाग और पूरक सेवा विभाग ऐसे दो प्रकारों में थल सेना के विविध विभागों का संगठनात्मक विभाजन किया गया है ।

अ) लड़ाकू और लड़ाकूपूरक गुट :

इसमें प्रत्यक्ष युद्धभूमि पर लड़ने वाले सेना के गुटों का समावेश होता है । जैसे

बख्तर (कवच) दल

तोपखाना

अभियांत्रिकी गुट

थलसेना

संपर्क गुट

थलसेना हवाई सुरक्षा गुट

थलसेना हवाई गुट

थलसेना का शत्रु के बारे में ज्ञान विभाग

आ) पूरक सेवा गुट

थलसेना पूर्ति विभाग (ASC)
खाद्यान्न, यातायात और पेट्रोलियम पदार्थ,

युद्धसामग्री विभाग (AOC)
गोला बारूद, शस्त्रास्त्र, यातायात के साधन
कपड़े तथा अन्य सामग्री- थलसेना

अभियांत्रिकी विभाग (EME)
शस्त्र और साहित्य मरम्मत और देखभाल
इलेक्ट्रॉनिक्स और तंत्र

वैद्यकीय सेवा तथा उपचार (AMC)
थलसेना का वैद्यकीय विभाग

दंतचिकित्सा विभाग (ADC)
दंत चिकित्सा तथा उपचार-थलसेना का

मानव विकास (AEC)
थलसेना का शिक्षा विभाग

पशुवैद्यकीय विभाग (RVC)
(घोड़े, श्वानपथक, खच्चर आदि)

सैनिकी पुलिस (MP)
यातायात नियंत्रण तथा अनुशासन

कानून विभाग (JAG)

पायोनिअर (PIONEER) युद्ध भूमि में आगे तथा
पीछे कार्यरत सेना कामगार

उपक्रम

१. थलसेना के लड़ाकू गुट के जोड़े मिलाएँ (छायाचित्र के आधार पर)

थलसेना ◯

तोपखाना ◯

अभियांत्रिकी विभाग ◯

थलसेना हवाई सुरक्षा गुट ◯

सुरक्षा दल ◯

संपर्क विभाग ◯

A

B

C

D

E

F

२. थलसेना का रचनात्मक प्रारूप (Ranks) तालिका तैयार कर कक्षा में दर्शनी भाग में लगाए ।

JBCEX1

प्रकरण ५ भारतीय नौसेना

ऐसा देखा जाता है कि भारत में ईसा पूर्व २३०० में हड़प्पा संस्कृति के कालावधि में पहली गोदी बनाई गई थी । यह गुजरात राज्य के मंगरोल बंदरगाह के पास थी । ई.स. ५ वीं व १० वीं सदी में चोल तथा कलिंग के राजाओं ने अपनी नौसेना का विकास करते हुए उसकी सहायता लेकर मलाया, सुमात्रा तथा पश्चिमी जावा (इंडोनेशिया) तक अपने साम्राज्य की सीमाएँ बढ़ाईं । इसी काल में भारतीय उपमहाद्वीपों से इन साम्राज्यों तथा चीन से व्यापार करने के लिए मध्यवर्ती केंद्र के नाते अंदमान और निकोबार द्वीपों को महत्त्वपूर्ण स्थान था ।

१७ वीं सदी के अंत में भारत के पश्चिमी तट पर जंजीरा का सिद्दी और मुगलों के बीच हुए समझौते के कारण देश के सागरी हित में बाधा उत्पन्न हुई । छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सागरी हित की रक्षा करने हेतु सिद्दोजी गूजर तथा बाद में कान्होजी आंग्रे इन दो नौसेना प्रमुखों के नेतृत्व में अपनी नौसेना (आरमार) की निर्मिति की । कान्होजी आंग्रे ने पूरे कोंकण तट पर अपनी सत्ता बनाई और मराठा सागरी सेना शक्तिशाली बनाई । अंग्रेज, पुर्तुगाली तथा डचों का सफलतापूर्वक सामना भी किया ।

भारतीय नौसना का विकास भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद तेज गति से हुआ । सागरी सेना की निर्मिति, नई-नई युद्ध नौकाओं को अंतर्भूत करके उनका आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ है । भारतीय नौसेना में आजकल विमान-वाहक जहाजों से लेकर पनडुब्बियों तक सभी प्रकार की युद्धनौकाओं को समाविष्ट किया गया है ।

भारतीय नौसेना का कार्य

- **सेना कार्य (सैनिकी कार्य) :** नौसेना के दो प्रकार के सैनिकी कार्य हैं ।

  अ) आक्रमण के समय का कार्य : नाविक मुहिम के अंतर्गत आक्रमण करते समय शत्रु की सेना/सैनिक, शत्रु का क्षेत्र तथा उनका व्यापार ध्वस्त करना ।

  ब) बचाव के समय का कार्य : नाविक मुहिम के अंतर्गत शत्रु के नाविक आक्रमण से अपने सैनिक, क्षेत्र तथा व्यापार की रक्षा करना ।

- **राजनीतिक कार्य :** भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा तथा राष्ट्रहित के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए उचित सागरीय वातावरण की निर्मिति करना ।

- **समुद्री कानून के संबंध में कार्य :** भारतीय नौसेना का प्रमुख कार्य हैं भारतीय सागरी सीमा तथा तटवर्ती क्षेत्र की रक्षा करना । इसके अलावा सागरी तस्कर तथा आतंकवादियों का बंदोबस्त करना । इस संदर्भ में भारतीय नौसेना तटीय रक्षक दल, राज्य सागरी पुलिस तथा बंदरगाह प्राधिकरण की सहायता मिलती है । २६ नवंबर २००८ को मुंबई पर हुए आतंकवादियों के हमले के बाद सागर तटीय क्षेत्र की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नौसेना पर सौंपी गई हैं ।

- **नियंत्रण एवं प्रभुत्व :** भारतीय नौसेना का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है । नौसेनाध्यक्ष (Chief of Naval Staff) नौसेना का संपूर्ण नियंत्रण करते हैं :-

नाविक विभाग (कमांडस) :

भारतीय नौसेना के कमांडस मुख्य कार्यालय की ओर से नियत किए गए कार्य, दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के कार्य तथा जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं । ये कमांडस निम्नानुसार हैं ।

अ) पश्चिमी नाविक कमांड : भारत के पश्चिम तटीय क्षेत्र के गुजरात, महाराष्ट्र, गोआ और कर्नाटक राज्य के बंदरगाह, नाविक छावनी तथा नाविक केंद्र और वहाँ के जहाजों (नौकाएँ) की रक्षा करने की जिम्मेदारी इस कमांड की है । मुंबई में कमांड का मुख्य कार्यालय है ।

ब) पूर्वीय नाविक कमांड : भारत के पूर्व तटीय क्षेत्र के बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बंदरगाह, नाविक छावनी तथा नाविक केंद्र और वहाँ के जहाजों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इस कमांड की है । इसका मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है ।

क) दक्षिणी नाविक कमांड : भारत के दक्षिण की ओर के केरल तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह और उनके बंदरगाह, नाविक छावनी तथा नाविक केंद्र के जहाज तथा युद्ध नौकाओं की रक्षा करना इस कमांड की जिम्मेदारी है । इस नाविक कमांड का मुख्य कार्यालय कोच्ची में है ।

ड़) अंदमान और निकोबार संयुक्त विभाग (कमांड) : अंदमान और निकोबार द्वीपसमूहों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस कमांड की है । इस कमांड में थलसेना, वायुसेना तथा नौसेना सैनिकों की संख्या बड़ी मात्रा में है । अतः इस कमांड को संयुक्त कमांड भी कहते हैं । इस कमांड का स्वामित्व तीनों सेनादलों के अधिकारी क्रम से सँभालते हैं । इस कमांड का मुख्य कार्यालय पोर्टब्लेअर में हैं ।

भारतीय नौसेना के जहाजों के प्रकार :

विमान वाहक जहाज : यह नौका आकार और वजन की दृष्टि से बड़ी युद्ध नौका है । इस जहाज पर विमानों को उड़ान भरने की तथा उनको उतारने के लिए सुविधाएँ होती हैं । इस जहाज पर वायुयान होते हैं अतः इसे 'तैरने वाला हवाई अड्डा' कहते हैं । विमान वाहक नौका गतिमान युद्ध का प्रभावी साधन होता है ।

विनाशिका : विनाशिका नौका भारी तथा दूर पल्ले वाले विभिन्न शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित लड़ाकू नौका है । इन नौकाओं का आकार नौसेना (समुद्री सेना) के विमान वाहक नौकाओं से छोटा होता है । इसपर हवाई जहाज विरोधी तोपें, लघु पल्ले वाले शस्त्रास्त्र, शत्रु के जहाज, भूमि पर हमला करने वाले क्षेपणास्त्र हवाई जहाज अथवा शत्रु के क्षेपणास्त्रों के विरोध में हमला करने वाले मार्गदर्शक क्षेपणास्त्र, पनडुब्बियों के विरोध में प्रयुक्त किए जाने वाले क्षेपणास्त्र, (टारपेडो और डेप्थचार्ज) ये शस्त्रास्त्र होते हैं । साथ-ही-साथ अपने सैनिकों को शत्रु के तटीय क्षेत्र पर उतरते समय सुरक्षा तथा विमान वाहक जहाजों की रक्षा करने का कार्य करते हैं ।

फ्रिगेट : फ्रिगेट यह युद्ध नौका विनाशिका से भी आकार में छोटी होती है । इस नौका पर भी मार्गदर्शक क्षेपणास्त्र होते हैं । जहाज पर होने वाले अन्य शस्त्रास्त्र तथा क्षेपणास्त्रों का प्रयोग युद्ध के समय शत्रु के तटवर्ती प्रदेश तथा जहाजों पर हमला करने के लिए करते हैं ।

कॉर्वेटस : यह फ्रिगेट से आकार में छोटा तथा किनारे पर गश्त देने वाली नौका से बड़ा जहाज गतिमान तथा हल्के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होता है ।

माईन स्वीपर : इसे जलसुंरग विरोधी नौका नाम से भी जाना जाता है । यह नौका आकार में छोटी होती है । शत्रु द्‌वारा समुद्रों में फैलाए गए जलसुरंग ढूँढ़ना तथा उन्हें नष्ट करने वाले यंत्र इस पर होते हैं ।

लैंडिंग शिप : जिस तटीय क्षेत्र पर बंदरगाह जैसी सुविधाएँ नहीं होती, वहाँ इस बड़ी आकार वाली नौकाओं से वाहन, विभिन्न सामग्री तथा सैनिकों को लेकर जाने वाले समुद्री तटों पर उतारने का कार्य इस नौका द्‌वारा किया जाता है ।

पेट्रोल बोट (गश्तवाली बोट) : नौसेना का यह सबसे छोटा जहाज होता है । इसका प्रमुख कार्य समुद्री तटवर्तीय क्षेत्र की देखभाल करना ।

पनडुब्बी : शत्रुसेना में सर्वाधिक डर निर्माण करने वाला अस्त्र है पनडुब्बी । पनडुब्बी का संचार पानी के नीचे होता है । पनडुब्बी का कार्य स्वतंत्रता से चलता है । शत्रु की नौकाओं को ढूँढ़ना और उन्हें टॉरपीडो अथवा क्षेपणास्त्र की सहायता से ध्वस्त करना इसका प्रमुख कार्य होता है ।

सहायक जहाज : समुद्री मुहीमों में लड़ाकू नौकाओं को किसी भी प्रकार की आवश्यकता के अनुसार सहायक सामग्री की आपूर्ति करने का कार्य ये सहायक जहाज करते हैं । जहाज का प्रारूप इसके अनुसार बनाया जाता है ।

अनुसंधान जहाज : इन जहाजों का उपयोग सागरी तल तथा समुद्री मार्ग की खोज करके अपने जहाजों की निर्मिति तथा उसके उपकरणों का प्रयोग करने की सूचनाएँ देने का कार्य करते हैं ।

प्रशिक्षण जहाज : नौसेना अधिकारी और नौसैनिकों को सागरी युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए इस जहाज का उपयोग किया जाता है ।

इसके साथ नौसेना दल के पास जमीन से काम करने वाले लड़ाकू हवाई जहाज, हेलिकॉप्टर तथा गश्त देने वाले हवाई जहाज होते हैं ।

उपक्रम

१. 'भारतीय नौसेना के संदर्भ में अंदमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप द्वीपसमूहों का महत्त्व,' इस विषय पर चर्चा कीजिए और मुद्दे लिखिए ।

२) मराठों की समुद्री सेना विकसित करने में कान्होजी आंग्रे के योगदान संबंधी जानकारी प्राप्त कीजिए और मुद्दे लिखिए ।

प्रकरण ६ भारतीय वायुसेना

ई. स. १९३२ में ब्रिटिश काल में 'रॉयल इंडियन एअर फोर्स' की स्थापना हुई । १९४७ में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद रॉयल इंडियन एअर फोर्स का नाम 'भारतीय वायुसेना' किया गया ।

भारतीय वायुसेना संगठन

भारतीय वायुसेना के कुल सात विभाग (कमांडस) हैं । इसमें पाँच (Opration) कमांडस अत्यावश्यक कार्य पर आधारित हैं । एक देखभाल तथा दुरुस्ती (मेटेंनन्स कमांड) और एक प्रशिक्षण विभाग (ट्रेनिंग कमांड) है । वे निम्नानुसार हैं ।

अ.क्र	कमांडस	मुख्य कार्यालय	
(१)	सेंट्रल एअर कमांडस	इलाहाबाद	अतिआवश्यक कार्यों पर आधारित
(२)	इस्टर्न एअर कमांड	शिलाँग	
(३)	वेस्टर्न एअर कमांड	नई दिल्ली	
(४)	साऊथ वेस्टर्न एअर कमांड	गांधीनगर	
(५)	सदर्न एअर कमांड	तिरुअनंतपुरम	
(६)	मेंटेनेन्स एअर कमांड	नागपुर	देखभाल/दुरुस्ती के लिए
(७)	ट्रेनिंग एअर कमांड	बेंगलूरू	प्रशिक्षण विभाग के लिए

वायुसेना का कार्य :

- भारतीय हवाई सीमाओं की रक्षा करना ।
- थलसेना तथा नौसेना को युद्ध में सहायता करना ।
- भारत की सीमा से परे जाकर अपने राष्ट्रहित की रक्षा करना ।
- आपदाकालीन बचाव कार्य में सहायता करना आदि ।

भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज

एस यु ३० MKI (सुकोई ३०) : यह बहुकर्मीय लडाकू हवाई जहाज है । सुखोई ३० इस हवाई जहाज में दो इंजिन तथा दो पायलट होते हैं । यह हवाई जहाज रशियन बनावट का है और इसका उत्पादन भारत में किया जाता है ।

मिराज २००० (वज्र) : यह हवाई जहाज फ्रेंच बनावट का है और हवाई सुरक्षा तथा शत्रु के हवाई जहाजों से मुकाबला करने वाला लडाकू हवाई जहाज है । इसमें एक इंजिन और एक पायलट होता है ।

मिग २९ यह हवाई जहाज रशियन बनावट का है । हवाई श्रेष्ठता निर्माण करने वाला लड़ाकू हवाई जहाज है । इस हवाई जहाज में दो इंजिन और एक पायलट होता है ।

मिग २७ यह हवाई जहाज रशियन बनावट का युद्धकलात्मक आघात (Tactical Strike) करने वाला हवाई जहाज है । इसमें एक इंजिन और एक पायलट होता है ।

मिग २१ : यह रशियन बनावट का हवाई जहाज है । यह भूमि पर आघात करने वाले तथा शत्रु के हवाई जहाजों के विरोध में लड़ने वाला बहुकर्मीय लड़ाकू हवाई जहाज है । इसमें एक इंजिन और एक पायलट होता है ।

जाग्वार : यह अँग्लो फ्रेंच बनावट का हवाई जहाज है । शत्रु के क्षेत्र में गहराई में जाकर प्रहार करने वाला हवाई जहाज है । इस हवाई जहाज में एक पायलट और दो इंजिन होते हैं ।

सी १३० जे : यह हवाई जहाज युद्धभूमि पर बहुत ही कम लंबाई वाली तथा कच्चे धावन पथ (रनवे) पर उतरने वाला, हवाई छाताधारी, भारी सामग्री तथा घायलों को लाना-ले जाना करने के लिए सक्षम हैं ।

सी-१७ : इस हवाई जहाज की क्षमता एक ही टप्पे में ४२०० ते ९००० किमी दूरी तक ४० से ७० टन का भार ढोकर ले जाने की है ।

IL 76 : यह रशियन बनावट का भारी यातायात का सैनिकी हवाई जहाज है । इस हवाई जहाज में चार इंजिन होते हैं ।

AN 32 : यह रशियन बनावट का मध्यम आकार का यातायात करने वाला हवाई जहाज है । इसमें दो टर्बो इंजिन होते हैं ।

MI25/MI35 : यह दो टर्बोशाफ्ट इंजिनवाला, हमला करने वाला, जिरही, गाड़ियाँ/टैंक विरोधी हेलिकॉप्टर है ।

MI26 : यह रशियन बनावट का दो टर्बोशाफ्ट इंजिनवाला भारी सामग्री की यातायात करने वाला हेलिकॉप्टर है ।

MI17–V5 : इस हेलीकॉप्टर पर हवाई यातायात के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलवायुसंबंधी रडार ये उपकरण होते हैं । वैसे ही रात में कारवाई करते तथा देखभाल करते समय हेलिकॉप्टर के पायलट को युद्धभूमि के दृश्य देखने के लिए गॉगल्स दिए गए हैं ।

चीता (चिताह) : यह फ्रेंच बनावट का एक टर्बोशाफ्ट इंजिनवाला हेलिकॉप्टर है । इस हेलिकॉप्टर का मुख्य कार्य देखभाल करना तथा घायलों को लाना-ले जाना है ।

ध्रुव : यह भारतीय बनावट का यातायात करने वाला हेलिकॉप्टर है । पर्वतीय क्षेत्र में यह हेलिकॉप्टर ६ हजार मीटर ऊँचाई पर सक्षमता से कार्य कर सकता है ।

चेतक : यह एक इंजिनवाला, हल्का फ्रेंच बनावट का टोही हेलिकॉप्टर है ।

तेजस : यह भारतीय बनावट का स्वदेशी हल्का लड़ाकू हवाई जहाज है । भारतीय वायुसेना सें तेजस हवाई जहाज सन २०१६ में समाविष्ट किया गया है ।

रुद्र : यह भारतीय बनावट का हल्का लड़ाकू हेलिकॉप्टर पर्वतीय क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है ।

इसके साथ वायुसेना में विभिन्न प्रकार के क्षेपणास्त्र हैं ।

उपक्रम

१. समाचार पत्र, मासिक पत्रिका तथा अंतरजाल के माध्यम से भारतीय वायुसेना के युद्धकार्य संबंधी जानकारी संकलित करके यहाँ लिखिए ।

२. अकाल, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भारतीय वायुसेना के कार्य की जानकारी समाचारपत्र, मासिक पत्रिका तथा अंतरजाल के माध्यम से संकलित करके अपने शब्दों में लिखिए ।

३. वायुसेना के क्षेपणास्त्रों के चित्र तथा जानकारी संकलित कीजिए ।

JBV71B

भारत का सैन्यबल मानचित्र

उपक्रम

निम्नलिखित मानचित्र में सैन्यबल के विभागों की सूची तैयार कर, सेनाबल के कमांड के कार्यक्षेत्र विविध रंगों की सहायता से दिखाइए ।

उपक्रम

निम्नलिखित मानचित्र में वायुसेना तथा नौसेना के मुख्यालय रंगों की सहायता से दिखाइए ।

प्रकरण ७ सुरक्षा के दुय्यम संगठन

युद्धकाल में देश की भू-सीमाएँ, हवाई तथा सागरी सीमाओं की रक्षा करने के लिए थलसेना, वायुसेना और नौसेना होती हैं । ये शत्रु से मुकाबला करती हैं । इन्हें सीमा के मोर्चे पर लड़ने वाले सेनादल कहते हैं। इन सेनादलों की जिम्मेदारी के अलावा युद्धकाल में देश की आंतरिक सुरक्षा को सँभालकर सेनादलों की सहायता करने वाले दलों को सुरक्षा के दुय्यम सेनादल कहते हैं । ये सेनादल केंद्रीय गृहमंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में होते हैं ।

सुरक्षा के दुय्यम सेनादल शांतिकाल, युद्धकाल तथा आंतरिक अशांति के काल में देशांतर्गत शस्त्रास्त्रों के कारखानों, बिजली आपूर्ति केंद्र, हवाई अड्डे, रेल स्थानक, पेट्रोल, खनिज तेल के संकलन स्थान तथा जल आपूर्ति करने वाले केंद्र बंदरगाह और महत्त्वपूर्ण स्थान आदि की रक्षा करना इनका काम है । इनके अतिरिक्त इनके निम्न कार्य हैं ।

दूसरे दर्जे के सेनादल के कार्य

- देश में सुव्यवस्था निर्माण करना ।
- नागरी प्रशासन को मदद कर स्थिरता को स्थायी बनाना ।
- समुद्री तटों की सुरक्षा करना ।
- युदधकाल में महत्त्वपूर्ण पुल, सड़के और महत्त्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा करना ।

सुरक्षा के दुय्यम सैन्यबल में अनेक सैन्यबलों का समावेश होता है । केंद्रीय गृहमंत्रालय के अधीन बलों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहा जाता है । इसमें प्रमुख रूप से सीमा सुरक्षा बल, इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस बल और असम राइफल का समावेश होता है । तटसुरक्षा दल का समावेश भारतीय नौसेना के नियंत्रण में होता है ।

अ) सीमा सुरक्षा बल :

सीमा सुरक्षा बल की स्थापना १ दिसंबर १९६५ को हुई । इस सैन्यबल पर केंद्रीय गृह विभाग नियंत्रण रखता है । सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख का पद 'महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल' होता है । थलसेना की तरह इस सुरक्षा बल की भी अनेक शाखाएँ (बटालियन्स) होती हैं । सीमा सुरक्षा बल मुख्यतः शांतिकाल में भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा का काम करता है ।

कार्य :

१) शांति काल में देश की भू-सीमाओं की रक्षा करना ।
२) भारतीय सीमाओं को लाँघने का प्रयास करने वाले, घुसपैठियों तथा तस्करी करने वालों पर रोकथाम लगाना ।
३) कानून तथा सुव्यवस्था की दृष्टि से नागरी प्रशासन की सहायता करना ।
४) सीमा की दूसरी ओर से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों पर रोकथाम लगाना आदि ।

ब) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल :

भारतीय उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की २४ अक्तूबर १९६२ को स्थापना की गई । यह सीमा पुलिस बल गृहमंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है । इस दल के सैनिक काराकोरम पर्वत से जम्मू कश्मीर के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय प्रदेश में कार्य करते हैं ।

कार्य :

१) सीमा तथा सीमावर्ती प्रदेश की रक्षा करना ।
२) सीमा प्रदेश के चुने हुए प्रवेश मार्गों (दर्रों) पर पहरा देना ।
३) सीमा प्रदेश से गैर कानूनी प्रवेश करने वालों, गुनाहगारों तथा गैरकानूनी यातायात करने वालों पर कार्रवाई करना आदि ।

क) असम राइफल्स :

असम राइफल्स सबसे पुराना सैन्यदल है । इसकी स्थापना १८३५ में कच्चारलेव्ही के तहत की गई । पहले और दूसरे महायुद्ध में अच्छा कार्य करने हेतु इस सैन्यबल को गौरवान्वित किया गया । उसी समय से इस सैन्यदल को असम रायफल्स के नाम से जाना जाता है । शिलाँग में इस सैन्यदल का मुख्य कार्यालय है ।

कार्य :

१) भारत की पूर्व-उत्तरी सीमा की रक्षा करना ।
२) पूर्व-उत्तरी भारत के राज्यों की बगावत के बारे में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना ।
३) नागरी असंतोष नियंत्रित करके नागरी प्रशासन की सहायता करना ।
४) पूर्व-उत्तरी राज्यों में कानून तथा सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए सहायता करना आदि ।

ड) तट रक्षक दल : तट रक्षक दल सागरी सुरक्षा बनाए रखने वाली नौसेना मत्स्य व्यवसाय तथा महसूल मंत्रालय (कर संकलन विभाग) से जुड़ा हुआ बहुकर्मी सेनादल है । इस सेनादल का प्रारंभ १ फरवरी १९७७ में हुआ । इस स्थायी रूप के संगठन की स्थापना १९ अगस्त १९७८ में हुई । तट रक्षक दल प्रमुख का पद 'महानिदेशक तट रक्षक दल' होता है । इस दल का कारोबार रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में चलता है । तट रक्षक दल का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है ।

कार्य :

(१) तट रक्षक दल का मुख्य कार्य भारत का लगभग बीस लाख वर्ग किमी सागरी क्षेत्र तथा लगभग ७००० किमी लंबाई वाले समुद्री तट की रक्षा करना है ।

(२) सागरी तस्करी तथा जासूसी का नियंत्रण करना ।

(३) भारतीय मत्स्य उत्पादन व्यवसाय का संरक्षण तथा सहायता करना ।

(४) भारत समुद्री तट पर तथा सागरी पर्यावरण का नियंत्रण करना ।

(५) सागरी संसाधन की रक्षा करना ।

(६) सागरी विज्ञान तथा अनुसंधान के लिए आवश्यक जानकारी का संकलन करना, आदि ।

उपक्रम

१. सीमा सुरक्षा बल एवं तट रक्षक दल के कार्यों में अंतर लिखिए ।

२. अर्द्ध सैनिक बल के सैनिक का साक्षात्कार लेकर निम्न मुद्दों के आधार पर लिखिए ।

अ) सैनिक का नाम तथा पद :

ब) वर्तमान कार्यालय

क) नियुक्ति काल

ड) अपेक्षित योग्यता

इ) सेना में क्यों भर्ती हुए

ई) सेवाकाल का उल्लेखनीय कार्य बताइए

ज) स्मरणीय प्रसंग

झ) युवकों को संदेश

३. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल तथा असम राइफल्स के कार्यों में होने वाला अंतर लिखिए तथा मानचित्र में उनके कार्यक्षेत्र दिखाइए ।

४. भूमिका अभिनय : कक्षा के विद्यार्थियों के चार समूह बनाकर द्वितीय दर्जे के सेना दलों के कार्य की प्रस्तुति कीजिए ।

JC532Y

उपक्रम

भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल और आसाम रायफल्स का कार्यक्षेत्र भारत के मानचित्र में दिखाइए ।

प्रकरण ८ पुलिस बल

देशांतर्गत शांति तथा सुरक्षा रखने हेतु विविध प्रकार के पुलिस बल होते हैं । इनमें प्रमुखता से भारत के प्रत्येक घटक राज्य का स्वतंत्र पुलिस बल होता है । इन्हीं के साथ राज्य में आपात्कालीन स्थिति निर्माण होने पर सार्वत्रिक चुनाव, त्योहार, पर्व तथा प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित संकटकाल में नागरी प्रशासन को कानून तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य पुलिस संगठन सहायता करती हैं । इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बल का समावेश होता है :

अ) केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (CRPF) : केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करने वाला सबसे बृहद अर्द्ध सैनिक बल है । इस बल की स्थापना १९३९ में हुई । इस बल के प्रमुख 'महानिदेशक केंद्रीय आरक्षित पुलिस' होते हैं । इस बल ने गौरवशाली सेवा दी है । केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल के कुल २४० बटालियन्स हैं तथा उसमें छह महिला बटालियन्स हैं । वे देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत हैं ।

कार्य :

(१) देशांतर्गत अस्थिरता निर्माण होने पर अथवा राज्य में तथा केंद्रशासित प्रदशों में कानून तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के कार्य में आवश्यकतानुसार सहयोग करना ।

(२) प्राकृतिक आपदाओं के काल में नागरिकों की सहायता करना ।

(३) देशद्रोहियों के विरोध में उनको ध्वस्त करना ।

(४) युद्धकाल में सुरक्षा बल की सहायता करने हेतु दुय्यम सुरक्षा का कार्य करना आदि ।

ब) राज्य आरक्षित पुलिस बल : (SRPF) राज्य आरक्षित पुलिस बल भारत के प्रत्येक राज्य के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होता है । यह साधारण पुलिस बल के अलावा सशस्त्र पुलिस बल है । उसे ही राज्य आरक्षित पुलिस बल अथवा एस. आर. पी.एफ. तो किसी राज्य में प्रांतीय रक्षक बल के नाम से पहचाना जाता है । इस बल के प्रमुख डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आर्मड पुलिस पद के अधिकारी होते हैं । राज्य आरक्षित पुलिस बल में अपने-अपने राज्य से भर्ती की जाती है । प्राथमिक तथा विशेष प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के बाद उन्हें जिम्मेदारी के कार्य दिए जाते हैं । राज्य में स्थायी स्वरूप की छावनियों में इनका प्रशिक्षण शुरू रहता है । युद्धकाल में उन्हें दुय्यम सुरक्षा के कार्य करने पड़ते हैं ।

कार्य :

(१) उत्पात मचाने वाले तथा समाजकंटक गुटों का बंदोबस्त करना ।

(२) राज्य पुलिस को कानून तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए सहायता करना ।

(३) समाज विघातक नक्सलवादी जैसी सशस्त्र टोलियों का 'बंदोबस्त' करना, आदि ।

क) गृहरक्षक बल (होमगार्ड) : होमगार्ड एक स्वयंसेवी संगठन है । इसकी स्थापना १९४८ में केंद्रीय गृहमंत्रालय के नियंत्रण में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में हुई है । इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों का सहभाग होता है । संगठन को इनके अनुभवों का लाभ प्राप्त होता है । होमगार्ड ऐच्छिक सेवा है । होमगार्ड को नागरी व्यवस्थापन को सहायता करने वाले संगठन के रूप में देखा जाता है । राज्य के होमगार्ड कानून तथा नियमों के अनुसार होमगार्ड का व्यवस्थापन तथा संगठन शुरू रहता है । होमगार्ड संगठन के प्रमुख को 'कमांडेंट जनरल होमगार्ड' कहा जाता है । यह संगठन जिला, तहसील, ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है । प्रत्येक विभाग में होमगार्ड की भर्ती की जाती है । इसमें पुरुष और महिला स्वयंसेवकों का समावेश होता है । उनका 'शहरी' तथा 'ग्रामीण' ऐसा वर्गीकरण किया जाता है । इसके अनुसार इन्हें लगातार १० से ४२ दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है । वैसे ही साप्ताहिक कवायद तथा आठ दिनों का पुनराभ्यास शिविर पूर्ण करना पड़ता हैं ।

कार्य :

(१) राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों में कानून तथा सुव्यवस्था, यातायात नियंत्रण, जनसंपत्ति की रक्षा आदि कार्यों में सहायता करना ।

(२) सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

(३) त्योहार एवं पर्व, जुलूस, सभाओं के दरम्यान कानून तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरी प्रशासन की सहायता करना ।

(४) प्राकृतिक आपदाओं के तथा देशांतर्गत बम विस्फोट के समय जनता की सहायता करने, उसका मनोधैर्य कायम रखने में मदद करना ।

(५) जातीय सौहार्द निर्माण करने, समाज को भयमुक्त करने के कार्य में सहभागी होना आदि ।

ड) नागरी सुरक्षा (Civil Defence): शत्रु के हवाई हमलों से अपने देश की जीवित तथा स्थायी संपत्ति की रक्षा करने के लिए जो संगठन बचाव कार्य करता है उस संगठन को नागरी सुरक्षा संगठन कहते हैं । विस्तार से बड़े आकारयुक्त भारत में नागरी सुरक्षा प्रत्येक राज्य की अपनी जिम्मेदारी होती है । नागरी सुरक्षा संगठन की नीति, नियंत्रण तथा कार्रवाई पूरे देश के स्तर पर होना जरूरी होता है । यह जिम्मेदारी 'महानिदेशक नागरी सुरक्षा' की है और राज्य में 'निदेशक नागरी सुरक्षा' की होती है ।

नागरी सुरक्षा सेवा की रचना केंद्र, राज्य तथा जिला त्रिस्तरीय होती है । इन स्तरों पर उनका कार्य जारी रहता है । इसमें सुरक्षा सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी, सार्वजनिक संगठन के नेता, औद्योगिक क्षेत्र के अधिकारी, डाक विभाग, टेलिग्राफ सेवा के अधिकारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तथा तंत्रज्ञों का अंतर्भाव होता हैं ।

कार्य : शत्रु द्वारा किए गए हवाई हमलों में जीवित तथा आर्थिक हानि न हो इसलिए नागरी सुरक्षा संगठन निम्न कार्य करता है ।

(१) शत्रु द्वारा फेंके गए बम को निरुपयोगी बनाना ।
(२) सूचना देने वाली यंत्रणा कार्यान्वित करना ।
(३) कार्य का विभाजन करना ।
(४) प्रकाशबंदी (Black out) करना ।
(५) घायलों की वैद्यकीय सहायता करना ।
(६) आग बुझाना ।
(७) संसाधनों की रक्षा करना ।
(८) सैनिक कल्याण केंद्र की स्थापना करना आदि ।

उपक्रम

(१) पुलिस के साक्षात्कार लीजिए ।

(अ) पुलिस का नाम तथा पद

(ब) वर्तमान कार्यरत पुलिस थाना तथा विभाग

(क) सेवा कालावधि

(ड) शिक्षा-प्रशिक्षण

(इ) सेवा काल के अनुभव

(ई) युवकों के लिए संदेश

२. समीप के पुलिस थाने की क्षेत्रभेंट करें । एवं वहाँ के कार्य की जानकारी प्राप्त करके यहाँ लिखिए ।

JCDY4L

प्रकरण ९ सेना में सेवा अवसर

सेना में सेवा देना देश के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण, ईमानदारी तथा संतोषकारी अनुभव देने वाला होता है । सेना में भर्ती होने के तीन साधारण चरण हैं ।

१) १० वीं (S.S.C) परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद

२) १२ वीं (H.S.C) परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद

३) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने के बाद

सेना–सेवा में भर्ती के स्तर :

सेना में भर्ती होने के योग्यतानुसार विभिन्न स्तर होते हैं । वे स्तर निम्नानुसार हैं ।

(१) प्रथम श्रेणी वर्ग –१– सनदी अधिकारी

(२) द्वितीय श्रेणी वर्ग –२– अथवा ब गट (सनदी अधिकारी)

(३) तृतीय श्रेणी वर्ग –२– अथवा ब गट (बिना सनदी अधिकारी)

(४) चतुर्थ श्रेणी वर्ग –३– अथवा क गट

(५) पंचम श्रेणी अथवा ड वर्ग इसमें कुशल तथा अर्धकुशल मजदूरों (कामगारों/श्रमिकों) की भर्ती की जाती है ।

सेना में भर्ती के मूलभूत घटक

- **आयुमर्यादा – नियमों में दर्शाए अनुसार**
- **शारीरिक क्षमता/नियम के अनुसार ऊँचाई, वजन, छाती**
- **वैद्यकीय क्षमता– नियम के अनुसार**
- **शैक्षणिक क्षमता– नियम के अनुसार संकेत स्थलों का आवश्यकतानुसार प्रयोग कीजिए और अधिक जानकारी पाइए ।**

सेना तथा बलों में महिलाओं के लिए अवसर

❍ **सैन्यबल :** विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त करने के बाद सनदी अधिकारी के पद पर, प्रथम वर्ग सनदी अधिकारी पद पर नियुक्ति हो सकती है ।

❍ **अर्द्ध सैनिक बल :** CRPF, BSF तथा ITBP में अधिकारी गृह तथा उसके निम्नस्तर पर जो गुट होते हैं, उसमें महिलाओं को अवसर प्राप्त होते हैं ।

आवेदन देने की पद्धतियाँ :

सेना में विभिन्न स्तरों पर विविध सेवाओं के लिए अलग-अलग (विविध) संकेत स्थल दिए हैं । उनका उपयोग कीजिए । वे संकेत स्थल निम्नलिखित हैं । -

(१) थलसेना - http://www.joinindianarmy.nic.in

(२) नौसेना - http://www.joinindiannavy.gov.in

(३) वायुसेना - http://www.carrerairforce.nic.in

- http://airmenselection.in

(४) सीमा सुरक्षा बल - http://bsf.nic.in

(५) केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल - http://crpfnic.in

(६) इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस - http://recruitmentitbpolice.nic.in

(७) सशस्त्र सीमा बल - http://www.ssb.nic.in

(८) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल - http://www.cisf.gov.in

(९) असम राइफल्स - http://www.assamrifles.gov.in

इसके अलावा साप्ताहिक Employment News इस समाचार पत्र से जानकारी प्राप्त कीजिए ।

JCHU69

किशोर
कथा, कविता, कादंबरीका, एकांकिका, दीर्घकथा, गंमतगाणी, ललित, छंद, चरित्र, विज्ञान, देश-देशांतर, लोककथा
लोकप्रिय व अभिरुचिसंपन्न किशोर मासिकातील चाळीस वर्षांतील निवडक साहित्यांवर आधारित 'निवडक किशोर'चे १४ खंड
किंमत प्रत्येकी ₹१६३/- (३०% सूट)
वरील खंड पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या सर्व भांडारांत विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. १४ खंडांची एकूम किंमत ₹ १६००/-
किशोर
वरील खंडांच्या खरेदीसाठी मंडळाच्या पुढील विभागीय भांडारांशी संपर्क साधा.
पुणे (०२०- २५६५९४६५), मुंबई (गोरेगाव) (०२२-२८७७१८४२), औरंगाबाद (०२४०- २३३२१७१),
नागपूर (०७१२-२५२३०७८/ २५४७७१६), नाशिक (०२५३- २३९१५११), लातूर (०२३८२- २२०९३०),
कोल्हापूर (०२३०- २४६८५७६), अमरावती (०७२१-२५३०९६५), पनवेल (०२२- २७४६२६४५)

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

हिंदी संरक्षणशास्त्र (कार्यपुस्तिका) इयत्ता नववी

₹ ३८.००